UPGK010023822026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट,
(महिलाओं के विरुद्ध अपराध), गोरखपुर।
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1011/2026

शिव कुमार पुत्र श्यामजी, उम्र लगभग–24 वर्ष, निवासी– भैसहा, थाना– गगहा, जनपद– गोरखपुर।
..... आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ..... विपक्षी।

मुकदमा अपराध संख्या– 83/2026
धारा– 69,115(2),352,351(3) बी०एन०एस०
थाना– गगहा, जनपद– गोरखपुर।

1– आवेदक/अभियुक्त शिव कुमार द्वारा उपरोक्त प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ **श्यामजी** का शपथ पत्र संलग्न है। शपथ–पत्र में इस आशय का कथन किया गया है कि अभियुक्त की यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी भी न्यायालय या उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में न तो लंबित है न विचाराधीन है और न ही निस्पादित है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान मामले की पीड़िता (Victim) की पहचान गुप्त रखने के उद्देश्य से जहां भी पीड़िता का नाम आया है, वहां उसे इस जमानत आदेश में मात्र "पीड़िता" शब्द से संबोधित किया गया है।

2– अभियोजन का संक्षिप्त कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा (पीड़िता) जब मायके आशापार जाती थी। आज से लगभग ढ़ाई वर्ष पूर्व शिवकुमार, जो कि उसके दूर के रिश्तेदार है, जो उसके मायके में आते–जाते थे। चूंकि उसके पति की मृत्यु हो गयी है, इसलिए उसे बहला–फुसलाकर शादी का झांसा देने लगे और कहे कि वह उसका और उसके बच्चों का देखभाल करेगा और उससे विवाह भी करेगा। वह शिवकुमार के झांसे में आ गयी और शिवकुमार उसके मायके में आता था और उससे जबरदस्ती बलपूर्वक शारीरिक सम्बन्ध बनाता था और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता था। वह इसका विरोध करती तो कहता था उसके आगे–पीछे कोई नहीं है। उसने जो भी उसकी इच्छा के विरूद्ध किया है उसका उसने मोबाइल में वीडियो बनाया है। यदि वह कुछ बोलेगी तो उसके नात–रिश्तेदार और फेसबुक पर वीडियो वायरल कर दूंगा। वह लोक लज्जा डर वश कुछ नहीं करती। ढ़ाई वर्ष से अब तक लगातार अनगिनत बार शारीरिक सम्बन्ध बनाया। इसी क्रम में उसको शिवकुमार ने लगभग मई, जून माह में शिवकुमार ने उसके पास फोन किया और कहा कि वह अपने भाई नन्द किशोर को भेज रहा है और उसके साथ चली आना। वह गगहा थाने पहुंची वहां पर उसे नन्दकिशोर मिले जो उसे लेकर रेलवे स्टेशन गोरखपुर आये और ट्रेन में बैठाकर उसे दिल्ली ले गये। जहां पर नन्द किशोर ने शिवकुमार को बुलाया और शिवकुमार आये और उसे अपने रूम सोनीपत लेकर गये और वह अपने बच्चों के साथ सोनीपत में एक सप्ताह रही थी। वहीं पर भी शिवकुमार ने जबरदस्ती और अप्राकृतिक रूप से शारीरिक रूप से सम्बन्ध बनाता रहा। दिनांक 10.06.2025 को उसे सोनीपत ले लेकर गगहा छोड़कर वह अपने घर चला गया। दो दिन बाद शिवकुमार ने फोन करके बुलाया और कहा उसके पास पैसे नहीं है। उसे सोनीपत जाना है। उसे रूपयों की आवश्यकता है। वह शिवकुमार से आकर गगहा मिली। शिवकुमार को 1500/– रूपया नगद दिया और शिवकुमार दूसरे दिन सोनीपत चला गया और सोनीपत से लगातार उसके पास फोन

आता–जाता रहा। जब उसने उससे कहा कि ऐसा कैसे चलेगा। उससे वह अपने वादे के अनुसार शादी कर ले तो उसने साफ तौर पर मना कर दिया और कहा कि वह उससे शादी अब नहीं करेगा। इसकी सूचना उसने शिवकुमार के माता–पिता व नन्दकिशोर व नन्दकिशोर की पत्नी से कहा तो उपरोक्त लोग उसे गाली–गुप्ता व जान से मारने की धमकी देने लगे और कहे कि वह उसके लड़के व भाई के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेगी तो उसके ससुराल व मायके में बता देंगे। वह कहीं की नहीं रह जाएगी। उपरोक्त घटना की सूचना स्थानीय थाना– गगहा को दिनांक 07.12.2025 को दिया था। गगहा की पुलिस ने उसको मौके पर बुलायी। कई दिनों तक वार्ता चला। गगहा की पुलिस द्वारा यह कहा गया कि शादी कर लो तो उसने शादी करने से मना कर दिया। दिनांक 26.01.2026 को वह अपने मायके आशापार थाना–गगहा में थी। सुबह आठ बजे शिवकुमार आया और उसको जबरदस्ती खींचकर घर में लेकर चला गया और दरवाजा अन्दर से बन्द कर लिया और उसके पीछे और मुंह में भी अप्राकृतिक रूप से जबरदस्ती बलात्कार किया। वह जोर–जोर से चीखती और चिल्लाती रही, लेकिन वह उसे मार–मार कर बलात्कार किया। उसके जोर–जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के बहुत से लोग आ गये। दरवाजा भडभड़ाए, उसने दरवाजा नहीं खोला तो लोग धक्का देकर दरवाजा खोले। वह दर्द से तड़पती रही। शिवकुमार भागते–भागते कहा कि यदि वह इसकी सूचना कहीं पर भी देगी तो उसका हस्र वह बार–बार यही करेगा। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है।

3– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की तरफ से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि वादिनी घटना के समय बालिग थी और उसको अपने बारे में सब कुछ पता था। आवेदक को 02.03.2026 से जेल में बन्द कर दिया गया है और तभी से आवेदक जेल में बन्द है। वादिनी विधवा औरत है जो आवेदक ब्लैकमेल करने हेतु जबरदस्ती शादी करने के लिये यह गलत मुकदमा उपरोक्त कायम करती है। मुकदमा खूब सोच–समझकर लिखाया गया है। पुलिस इलाका गगहा पर गलत मुकदमा उपरोक्त आवेदक के खिलाफ लिख दिया है तथा आवेदक को 02.03.2026 को जेल भेज दिये है। कथित अपराध काबिले जमानत के है। वादिनी को यदि आवेदक झांसा दिया होता तो सिर्फ वादिनी के खर्चा इत्यादि देने की बात कहा होता व ना कि बच्चों का भरण–पोषण करने की बात कहा होता। वादिनी कभी भी कहीं जाने के लिए 1500/– रूपया नहीं दी है। यदि वादिनी को अप्राकृतिक बलात्संग किया और वादिनी जोर–जोर से चिल्लाई जो गांव व मुहल्ले के लोग क्यों नहीं आए। उपरोक्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

4– सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अपने तर्क में कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा (पीड़िता) को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया गया। अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ मारपीट कर गाली–गुप्ता दी गयी और जान से मारने की धमकी भी दी गयी। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। ऐसी स्थिति में आवेदक/ अभियुक्त जमानत का हकदार नहीं है और तद्नुसार जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की याचना की है।

5– मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस को सुना तथा संबंधित केस डायरी का अवलोकन किया।

6– केस डायरी व अन्य प्रपत्रों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक/अभियुक्त पर आरोप लगाया गया है कि उसके द्वारा पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए तथा उसके साथ मारपीट व गाली–गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गयी। पीड़िता ने धारा 180 बी०एन०एस०एस० के कथन में बताया गया है कि पहले पति से उसके तीन बच्चे हैं। पति की मृत्यु के कुछ साल बाद उसके ननद का देवर शिवकुमार से बातचीत होने लगी। वह उससे शादी के लिए कहने लगा तथा बार–बार उससे मिलने के लिए कहने लगा। उसने उसको मिलने से मना कर दिया। जब वह कुछ दिन बाद अपने मायके में गयी तो वहां पर आकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। फिर छः महीने बाद चेन्नई से वापस

आया तथा उसे बड़हलगंज में रुम लेकर एक हफ्ता रखा। उसके बाद वह पानीपत चला गया। उनके भईया उसे दिल्ली लेकर गए। वहां से शिवकुमार अपने रुम पर लेकर गया और दो महीने तक वहां रही। शादी का झांसा देकर उससे बार–बार संबंध बनाता रहा और अब शादी करने से इंकार कर रहा है। पीड़िता ने धारा 183 बी०एन०एस०एस० के कथन में बताया है कि "घटना दिनांक 26.01.2026 को समय सुबह 8 बजे की है। शिवकुमार पुत्र श्यामजी मेरी ननद अंजनी का देवर है। लगभग ढाई वर्षों से हम दोनों फोन पर बातचीत करते थे। मेरे पति की मृत्यु वर्ष 2022 में हो चुकी है। शिवकुमार ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम्हारे तीनों बच्चों की देखभाल करूंगा। वह हमेशा मेरे मयाके आते रहते थे तथा मेरे साथ शारीरिक संबंध भी बनाते थे। यह मेरा गंदा वीडियो भी बना लिया था तथा वायरल करने की धमकी देता था। वह मुझे दिल्ली ले गया। नन्दकिशोर, जो शिवकुमार का भाई है, मुझे दिल्ली ले गया। दिल्ली पहुंचकर उसने अपने भाई को बुलाया। शिवकुमार मुझे कमरे पर ले गया। उसके बाद लगभग ढाई माह बाद वह मुझे वासप गोरखपुर गगहा ले आया। जहां पर वह किराया–भाड़ा लेकर दिल्ली चला गया। उसने कई बार मुझे शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया। वह मायके आकर मेरे साथ जबरदस्ती किया। उसने मेरे पीछे भी शारीरिक संबंध बनाया। वह अप्राकृतिक सेक्स भी किया। जब मैं चिल्लाई तो अगल–बगल वाले सुनकर आए। वह मुझे गाली–गलौज दिया। उसके भाई नन्दकिशोर व भाभी अंजनी ने मुझे जान से मारने की धमकी दिए।" अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से प्रकट है कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता को विवाह करने का वचन देकर, उसे पूरा करने के किसी आशय के बिना, उसके साथ मैथुन कारित किया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। जहां तक बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत पीड़िता की सहमति के तर्क का प्रश्न है, इस संबंध में जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण के स्तर पर यह निर्धारित किया जाना कि पीड़िता द्वारा दी गई सहमति स्वैच्छिक थी या अभियुक्त द्वारा कारित तथ्यों की प्रवंचना का परिणाम थी, उचित नहीं है। इस तथ्य का निर्धारण विचारण के दौरान साक्ष्य के विस्तृत परिशीलन उपरान्त किया जाना न्यायसंगत होगा। प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता व प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण–दोष पर विचार करते हुए न्यायालय की राय में आधार जमानत पर्याप्त नहीं हैं। अतः आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **शिव कुमार** द्वारा **मुकदमा अपराध संख्या 83/2026, धारा–69,115(2), 352,351(3) बी०एन०एस०, थाना– गगहा, जिला– गोरखपुर** के अभियोग में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र **निरस्त** किया जाता है।

दिनांकः 31.03.2026

(मनोज कुमार)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0,
(महिलाओं के विरुद्ध अपराध),गोरखपुर।
J.O.Code– UP3835

Digitally signed by MANOJ KUMAR
Date: 2026.03.31 18:20:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court